उत्तराखण्ड राज्य के प्रतिपूरक वनिकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) के शासकीय समिति (गवर्निंग बॉडी) बैठक का कार्यवृत्त

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक' की अध्यक्षता में राज्य कैम्पा (State CAMPA) की शासकीय समिति (Governing Body) की पहली बैठक दिनांक 02.03.2010 में निम्न सदस्य गण उपस्थित रहे :–

1. श्री एन0एस0 नपल्च्याल, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
3. श्री बिजेन्द्र पाल, प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन
4. श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन
5. श्री एम0एच0 खान, सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन–सदस्य सचिव
6. डॉ0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
7. श्री के0एल0 आर्य, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड

आज दिनांक 02.03.2010 को राज्य कैम्पा उत्तराखण्ड के शासकीय समिति के सम्मानित सदस्य श्री प्रकाश पंत मा0 नियोजन मंत्री उत्तराखण्ड शासन मुख्यालय से बाहर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। इस शासकीय समिति की बैठक में श्री श्रीकान्त चन्दोला (अपर प्रमुख वन संरक्षक–नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन), श्री दीपम सेठ (अपर सचिव, गृह एवं मा0 मुख्यमंत्री), श्री अजय प्रद्योत (अपर सचिव, स्वास्थय एंव मा0 मुख्यमंत्री) व श्री सुशांत पटनायक (अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण) विशेष आमंत्रि के रूप में उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन करते हुए सर्वप्रथम प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य कैम्पा की शासकीय समिति के अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड तथा विद्यमान सदस्यों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा राज्य कैम्पा उत्तराखण्ड के संचालन की सामान्य रूप रेखा एवं प्रशासनिक समितियों तथा वित्तीय संसाधनों व उनके प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि नवम्बर 2009 की स्थिति के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायलय के Adhoc CAMPA कोष में उत्तराखण्ड राज्य के कुल रू0 820.76 करोड़ धनराशि जमा है जिसके सापेक्ष वर्तमान में स्टेट कैम्पा उत्तराखण्ड को रू0 81.65 करोड़ आंवटन किया गया है जो ब्याज अर्जित खाते में जमा है। प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि इस धनराशि का वितरण वार्षिक कार्ययोजना (APO) के अनुसार प्रभागों को ब्याज अर्जित खातों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी जिनका वरण गतिमान है। मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा के कार्यकारी समिति द्वारा राज्य कैम्पा वार्षिकी परियोजना के तहत दस वर्षिय कार्ययोजना (Action Plan) जिसकी कुल लागत रू0 873.61 करोड़ तैयार किया गया एवं राज्य कैम्पा के संचालन समिति द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कथित कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है। इस कार्य योजना

में मुख्य रूप से वन सुरक्षा, अवस्थापना एवं मानव संसाधन विकास, वन्य जीव प्रबंधन एवं सुदृढ़िकरण, वन पंचायतो का सुदृढ़िकरण, पर्यावरण सुधार/प्रचार–प्रसार, पारिस्थितिकीय पर्यटन, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण, विभिन्न आजीविका सम्बन्धि कार्य व कैचमेंन्ट एरिया ट्रीटमेंट प्लान कार्य सम्मिलित होने के सम्बन्ध में जानकारी मा0 मुख्यमंत्री जी व अन्य सदस्यों को दिया गया।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य कैम्पा परियोजना के कियान्वयन के फलस्वरूप राज्य को प्राप्त होने वाली पूरे देश में अनोखा व ठोस उपलब्धि के सम्बन्ध में चार बिन्दुओं पर जिज्ञासा जतई गयी। प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक जिले में जैव विविधाता केन्द्र/हर्बल गार्डन की स्थापना, वन पंचायतों का सुदृढ़िकरण, महिला व युवा वर्गो के माध्यम से स्पर्श गंगा व पॉलिथिन अभियान, राज्य में विकास के मध्य नजर क्षतिग्रस्त परिपक्व वृक्षों की पुनर्स्थापना (salvaging of mature trees) व मानव वन्य जीव संघर्ष को सीमित करना इस राज्य कैम्पा वानिकी परियोजना की पूरे देश में अनोखा उपलब्धि होगा। मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा वानिकी परियोजना, उत्तराखण्ड को हरित प्रदेश के रूप में विकसीत करने में, जड़ी–बूटी विकास व संरक्षण व इस राज्य के लगभग 12000 वन पंचायतों के विशेष सुदृढ़िकरण में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा परियोजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार सुनियोजित तरीके से वन पंचायतो के विकास व सुदृढ़िकरण हेतु निश्चित रूप से धनराशि उपलब्ध हो पायेगा जिसके फलस्वरूप जनसहभागिता के माध्यम से वन प्रबंधन को बल मिलेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा योजना के तहत निम्न बिन्दुओं पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाये जिससे कि सम्पूर्ण देश में उत्तराखण्ड से यह सन्देश प्रसारित हो सके कि वनों के संरक्षण व संवर्द्धन को स्थानीय जनता की भागीदारी से सफलतापूर्वक कैसे प्रबंधन कराया जा सकता है।

1. प्रदेश की जैव विविधता संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में प्रस्तावित जैव विविधतता केन्द्र/हर्बल गार्डन में स्थानिय प्रजातियों को प्रदर्शित किया जाय उदाहरण स्वरूप, देहरादून में शिवालिक आरबोरेटम जिसमें शिवालिक पर्वतमाला की दुलर्भ पौध रोपित की जाएगी।
2. दुर्घटनाग्रस्त तथा पीड़क वन्य जीवों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस गतिविधि को उन आगन्तुकों के लाभ हेतु अवसर के रूप में परिणित कर लिया जाए जिन्हें प्राकृतिक वनों में वन्य जीव देखने का अवसर नहीं मिल पाया है।
3. विकास कार्यों से बाधित तथा दैवी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त परिपक्व वृक्षों की पुनर्स्थापना (salvaging of mature trees) की योजना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए जिससे प्रकृति की इस मूल्यवान देन को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके।
4. ईको–टूरिज्म के कम्पोनेन्ट में पर्याप्त नियोजन की आवश्यकता है और वन विभाग के अधीन वाइल्ड लाइफ/ईको टूरिज्म कारपोरेशन के सृजित किये जाने पर विचार किया

जाना चाहिए चूंकि वन निगम जिसे आंशिक रूप से ईको टूरिज्म का कार्य सौंपा गया था, पूर्व ही प्रकाष्ठ व रेता/पत्थर/बजरी विदोहन के कार्य की अधिकता से व्यस्त है। ईको टूरिज्म के कार्य में पर्याप्त संभावनायें हैं जिनके माध्यम से वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के साथ आम जनता को रोजगार के अवसर प्रदान करके जोड़ा जा सकता है।

5. उत्तराखण्ड में वन पंचायतों का विस्तार अद्वितीय है। प्रदेश की 12000 से अधिक वन पंचायतों की मानवशक्ति का उपयोग वनों के विकास में किये जाने पर जोर दिया गया। प्रत्येक वन पंचायत में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें जिससे आम व्यक्ति इन वनों के संरक्षण से जुड़ सके। वन पंचायतों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं को प्रभावी, नियंत्रित तथा प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए जिनका कार्यान्वयन भूमि पर प्रदर्शित हो सके।

6. स्पर्श गंगा तथा प्लास्टिक कचरा हटाने के जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को स्वस्थ पर्यावरण के हित में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस कार्य हेतु अब तक आवंटित रू0 5 करोड़ को बढ़ाकर रू0 10 करोड़ कर दिया जाए तथा अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति ईको टूरिज्म में आवंटित धनराशि रू0 25 करोड़ से कर लिया जाए। योजना के अन्तर्गत स्पर्श गंगा कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के आसपास के रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इस अभियान में मुख्य रूप से महिला व युवा वर्ग के लोगों का सहयोग विशेष रूप से लिया जाय।

7. पवित्र वृक्षावलियों को बचाने की योजना की सराहना की गई। मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

(क) पौराणिक तथा शास्त्रों में उल्लिखित पवित्र वृक्षों का रोपण नक्षत्र वनों, नवगृह वाटिकाओं आदि के रूप में किया जाना चाहिए जिससे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ–साथ आम जनता धार्मिक आधार पर वृक्षों एवं वृक्षारोपण से जुड़ सके।

(ख) ऐसी प्रजातियों के अलग से स्थल वार विशेषरूप से यात्रा मार्गों के किनारे, पौधालाय स्थापित किये जाने चाहिए।

(ग) ऐसे वृक्षों तथा पौधों के धार्मिक महत्व तथा विशिष्ट गुणों का प्रचार पवित्र वृक्षावलियों के स्थल पर किया जाना चाहिए जैसे विष्णु भक्ति हेतु तमाल के वृक्ष की विशेषता, मानव स्पर्श से थनेला (Gardenia turgida) के वृक्ष में होने वाले स्पन्दन, निर्धारित समय पर शंक पुष्पी की आराधना से लक्ष्मी की प्राप्ति आदि से सम्बन्धित सूचना।

(घ) बद्रीनाथ धाम से पूर्व देव दर्शिनी स्थल पर वन विभाग द्वारा बनाये गये बद्रीश वन को नया नाम "बद्रीश एकता वन" दिया जाना चाहिए जिस हेतु शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये गये। मा0 मुख्यमंत्री के द्वारा पवित्र वृक्षावलियों की योजना के अन्तर्गत बद्रीश एकता वन को सम्मिलित करने के निर्देश के साथ–साथ यह भी निर्देश दिये

गये कि उन 27 राज्यों के मा0 मुख्यमंत्रियों को उनके स्तर से तथा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव के स्तर से पत्र भेजा जावे और बद्रीश एकता वन को स्थापित करने के पीछे मन्तव्य का स्मरण दिलाते हुए राज्य विशेष को इस उद्देश्य से आवंटित प्लाट पर विद्यमान रोपित वृक्षों की संख्या तथा सामान्य दशा से अवगत कराया जावे। बद्रीश एकता वन में सम्पूर्ण सूचना दर्शाते हुए बोर्ड लगाने के निर्देश भी प्राप्त हुए।

8. मा0 मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा परियोजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त किया जाए।
9. वन अग्नि विभिषिका नियंत्रित करने हेतु सुझाये गये कि ग्रामीणों के माध्यम से पीरूल एकत्र करने की योजना को वृहद् स्वरूप प्रदान करने पर सहमति बनी।

प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य कैम्पा परियोजना में इको–टूरिज्म के तहत वन विभाग में विभिन्न रमणीय स्थल पर स्थित वन विश्राम भवनों का विस्तार व सुदृढ़िकरण किया जाय एवं इन परिसम्पत्तियों से राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त करने की मंशा से कनार्टक सरकार की Jungle Lodges & Resorts के तर्ज पर उत्तराखण्ड में इको–टूरिज्म बोर्ड का गठन कर प्रबंधन किया जाय। इस सुझाव का सहमति मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया।

उक्त विमर्श एवं निर्देशन के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये 10 वर्षीय राज्य कैम्पा परियोजना पर सहमति प्रदान की गयी और भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्य शीघ्र आरम्भ करने के निर्देश दिये गये व परियोजना की सफल कियान्वयन हेतु शुभकामनाऐ व्यक्त की।

(कार्यवाही स्टेट कैम्पा के संचालन व कार्यकारी समिति)

(एम0एच0 खान)
सचिव, वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
यू0ओ0संख्या– 24 /X–2–2010–7(6)/2004 टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2010

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री जी को मा0 नियोजन मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड को एफ0आर0डी0सी0 महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, वित्त को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन व वित्तीय प्रबन्धन)/सदस्य सचिव, संचालन समिति राज्य कैम्पा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड/सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति राज्य कैम्पा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

My Computer/D:/Ansari/U.O. Letter 2009-10